झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष (ग्यारहवीं कक्षा) परीक्षा 2017 के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 15/2017

विज्ञप्ति संख्या 14/2017 के क्रम में अंगीभूत, सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय, प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय, राजकीय/राजकीयकृत +2 विद्यालयों, कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय 2016–18 सत्र के लिए स्थापना अनुज्ञा (अनुमति)प्राप्त इंटर महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित मॉडल विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा अन्य सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि विज्ञप्ति संख्या 14/2017 में मांग पत्र जमा करने की निर्धारित तिथि में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:–

क्रम सं.	मांग पत्र जमा करने की तिथि	जिला का नाम
01	06.04.2017	राँची, खुँटी, सिमडेगा, गुमला, चतरा, पलामू, दुमका, पाकुड़
02	07.04.2017	रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा, गढ़वा, साहेबगंज, देवघर
03	10.04.2017	पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, लोहरदगा, लातेहार, जमाताड़ा, गोड्डा

⁂ गत वर्ष की भांति वैसे इंटर महाविद्यालय जिनकी प्रस्वीकृति संबंधी कार्रवाई झारखण्ड अधिविद्य परिषद् एवं राज्य सरकार के विचाराधीन है, में अध्ययनरत् कक्षा 11 के छात्र/छात्राओं को इंटर परीक्षा 2018 में सम्मिलित करने हेतु ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र एवं उत्तरपुस्तिका के लिए निर्धारित प्रपत्र में मांग पत्र एवं शुल्कादि निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन परिषद् कार्यालय, राँची, परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में जमा लिये जायेंगे:–

1) **स्थापना अनुमति प्राप्त महाविद्यालय, निर्धारित एक सत्र (2016-18) हेतु ही छात्रों का नामांकन करेंगे। उस सत्र की समाप्ति के पश्चात् इस तरह के कोई भी महाविद्यालय छात्रों का नामांकन नहीं लेंगे। यदि निर्धारित सत्र समाप्ति के पश्चात् भी नामांकन लिया जाता है तो वैसे छात्रों के ग्यारहवीं कक्षा की परीक्षा लेने की जिम्मेवारी परिषद् की नहीं होगी, इसके लिए संबंधित महाविद्यालय उत्तरदायी होंगे।**
2) **अगर भविष्य में स्थापना अनुमति की निर्धारित सत्र समाप्ति के पश्चात् कोई भी इंटर महाविद्यालय बिना प्रस्वीकृति प्राप्त किये हुए छात्रों का नामांकन लेता है तो उनकी स्थापना अनुमति परिषद् द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।**
3) **यदि इंटर महाविद्यालय प्रस्वीकृति की सभी शर्त्त एक वर्ष के अन्दर पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें भविष्य में किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जायेगी तथा इसकी जवाबदेही परिषद् की नहीं होगी।**

ऊपर निर्धारित तिथि के अनुसार ही विज्ञप्ति संख्या में 14/2017 में प्रकाशित प्रपत्र में निर्धारित शर्त्तों के अनुरूप ही मांग पत्र जमा की जायेगी। प्रश्नपत्र एवं उत्तरपुस्तिका हेतु ही शुल्क 80/– रूपये प्रति छात्र/छात्रा निर्धारित है। शुल्क के लिए बनाये गये **CTS: MICR** बैंक ड्राफ्ट **"JAC FUND"** के नाम से ही मान्य होंगे। निर्धारित तिथि के पूर्व या बाद मांग पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

JAC/Inter/1280/16/SECY/134/17
Dt. 01.04.2017
D.O.P. 02.04.2017

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।